भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 120*

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 09 फरवरी, 2018/20 माघ, 1939 (शक) को दिया जाना है।)

धन अंतरण और वित्त पोषण

***120. श्रीमती वी॰ सत्यबामाः**

श्री पी॰आर॰ सेनथिलनाथनः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विभिन्न कार्यों के लिए पार्टिसिपेटरी नोट्स के रूप में विदेशों से भारत में आ रही धनराशि की निगरानी/जांच/स्कैन की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान एजेंसी-वार इस संबंध में क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार ने भारत से टैक्स छूट (टैक्स हैवन) वाले देशों को बड़ी राशि के अंतरण के लिए किसी व्यक्ति/कम्पनी/ट्रस्ट के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने सिंगापुर, मॉरीशस, केमान आइलैण्ड और अन्य टैक्स छूट (टैक्स हैवन) वाले देशों के साथ धन अंतरण तथा वित्तपोषण के संबंध में जानकारी साझा करने के लिए समझौता किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्री अरुण जेटली)

(क) से (ङ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

"धन अंतरण और वित्त पोषण" के संबंध में दिनांक 09.02.2018 को उत्तरार्थ माननीय सांसद श्रीमती वी॰ सत्यबामा और श्री पी.आर॰ सेनथिलनाथन द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *120 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग): विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को, जो पार्टिसीपेटरी नोटों (पीएन) के नाम से भी ज्ञात विदेशी व्युत्पन्न लिखत (ओडीआई) जारी करते हैं, अपने ओडीआई/पीएन से संबंधित कार्यकलाप के ब्यौरे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को विहित प्रारूप में मासिक आधार पर प्रस्तुत करने होते है और उन्हें सेबी की बेवसाइट पर अपलोड किया जाता है। ओडीआई से संबंधित कार्यकलाप की रिपोर्ट करने वाला प्रारूप सेबी के दिनांक 10 जून, 2016 के परिपत्र के तहत संशोधित किया गया था। ओडीआई जारी कर रहे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा की गई प्रस्तुतियों के अनुसार ओडीआई द्वारा जारी लिखतों का विगत चार वर्ष में बकाया कल्पित मूल्य अनुबंध-क में दिया गया है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दृष्टि से, और भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त काला धन-विषयक विशेष जॉच दल (एसआईटी) द्वारा की गई विविध प्रकार की अनुशंसाओं के आलोक में, सेबी भारतीय पूंजी बाजारों में ओडीआई/पीएन मार्ग के जरिए ऋण से संबंधित मानदंडों को लगातार सख्त बनाता रहा है। सेबी द्वारा हाल में किए गए उपायों में से कुछ अनुबंध-ख पर उल्लिखित हैं।

(घ) आयकर विभाग प्रत्यक्ष कर विधियों के विविध उपबंधों के उल्लंघन में संलिप्त व्यष्टि/कंपनी/न्यास आदि के खिलाफ समुचित कार्रवाई करता है। ऐसी कार्रवाइयों में तलाशी और जब्ती, आय-निर्धारण, कर उगाही, यथा- प्रयोज्य शास्ति और अभियोजन शामिल हैं। आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के तहत कार्रवाई करने के अलावा, आयकर विभाग ने काला धन (अघोषित विदेशी आय और आस्ति) अधिनियम, 2015 के अधीन विभिन्न निर्धारितियों को जिनके पास कर रहित/अल्प कर क्षेत्राधिकार सहित विदेश में अप्रकटित आस्तियां थीं, 54 नोटिस भी जारी किए हैं। इसके अलावा, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 138 के साथ पठित काला धन (अघोषित विदेशी आय और आस्ति) अधिनियम, 2015 की धारा 84 के उपबंध जांचाधीन व्यष्टि/कंपनी/न्यास से संबंधित सूचना के प्रकटन की मनाही करते हैं।

(ङ) भारत सरकार ने कर छूट वाले देशों सहित 130 से अधिक देशों के साथ दुहरा कराधान परिहार करार (डीटीएए), कर सूचना विनिमय करार (टीआईईए) और कर मामलों में आपसी प्रशासनिक सहायता विषयक बहुपक्षीय अभिसमय (एमएसी) पर हस्ताक्षर किए हैं। ये करार धनशोधन और वित्तपोषण से संबंधित सूचना सहित कर प्रयोजन हेतु सूचनाओं का इन देशों में आदान-प्रदान करने की अनुमति देते हैं। उक्त करारों के अधीन भारत सरकार द्वारा किए जाने वाले अनुरोध पर, ये देश धनशोधन और वित्तपोषण से संबंधित सूचना सहित प्रयोज्य सूचना उपलब्ध कराते हैं।

****

"धन अंतरण और वित्त पोषण" के संबंध में दिनांक 09.02.2018 को उत्तरार्थ माननीय सांसद श्रीमती वी॰ सत्यबामा और श्री पी.आर॰ सेनथिलनाथन द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *120 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-क

विदेशी व्युत्पन्न लिखतों (ओडीआई) का कल्पित बकाया मूल्य बनाम एफपीआई/मानित एफपीआई की अभिरक्षा अधीन आस्तियां (एयूसी)					
महीने के अंतिम दिन की स्थिति के अनुसार	इक्विटी और ऋण तथा व्युत्पन्नों पर बकाया पीएन का कल्पित मूल्य (करोड़ रुपए)	सभी एफपीआई की अभिरक्षा के अधीन आस्तियां (करोड़ रुपए)	ख के प्रतिशत के रूप में इक्विटी और ऋण तथा व्युत्पन्नों पर बकाया पीएन का कल्पित मूल्य	व्युत्पन्नों को छोड़कर इक्विटी और ऋण पर ओडीआई का कल्पित मूल्य (करोड़ रुपए)	ख के प्रतिशत के रूप में व्युत्पन्नों को छोड़कर इक्विटी और ऋण पर ओडीआई का कल्पित मूल्य
	क	ख	ग	घ	ङ
जनवरी-14	163,348	1,426,875	11.5	111,646	7.8
फरवरी-14	172,738	1,473,802	11.7	113,600	7.7
मार्च-14	207,639	1,593,869	13.0	135,821	8.5
अप्रैल-14	187,486	1,606,596	11.7	127,627	7.9
मई-14	211,740	1,770,781	12.0	145,258	8.2
जून-14	224,248	1,909,400	11.7	158,532	8.3
जुलाई-14	208,284	1,971,822	10.6	158,303	8.0
अगस्त-14	211,499	2,047,175	10.3	161,682	7.9
सितम्बर-14	222,394	2,084,161	10.7	168,322	8.1
अक्तूबर-14	265,675	2,171,276	12.2	186,496	8.6
नवम्बर-14	249,210	2,267,910	11.0	187,039	8.2
दिसम्बर -14	236,677	2,245,157	10.5	190,595	8.5
जनवरी-15	268,033	2,402,441	11.2	208,783	8.7
फरवरी-15	271,752	2,456,321	11.1	208,447	8.5
मार्च-15	272,078	2,411,810	11.3	211,605	8.8
अप्रैल-15	268,168	2,355,308	11.4	206,374	8.8
मई-15	284,826	2,413,049	11.8	213,163	8.8
जून-15	275,436	2,386,457	11.5	208,578	8.7
जुलाई-15	272,053	2,453,014	11.1	205,444	8.4
अगस्त-15	253,310	2,313,548	10.9	188,027	8.1
सितम्बर-15	253,875	2,303,513	11.0	186,849	8.1
अक्तूबर-15	258,287	2,344,179	11.0	192,630	8.2
नवम्बर-15	254,600	2,308,769	11.0	191,190	8.3
दिसम्बर-15	235,534	2,320,539	10.1	180,072	7.8
जनवरी-16	231,317	2,200,837	10.5	171,732	7.8

विदेशी व्युत्पन्न लिखतों (ओडीआई) का कल्पित बकाया मूल्य बनाम एफपीआई/मानित एफपीआई की अभिरक्षा अधीन आस्तियां (एयूसी)					
महीने के अंतिम दिन की स्थिति के अनुसार	इक्विटी और ऋण तथा व्युत्पन्नों पर बकाया पीएन का कल्पित मूल्य (करोड़ रुपए)	सभी एफपीआई की अभिरक्षा के अधीन आस्तियां (करोड़ रुपए)	ख के प्रतिशत के रूप में इक्विटी और ऋण तथा व्युत्पन्नों पर बकाया पीएन का कल्पित मूल्य	व्युत्पन्नों को छोड़कर इक्विटी और ऋण पर ओडीआई का कल्पित मूल्य (करोड़ रुपए)	ख के प्रतिशत के रूप में व्युत्पन्नों को छोड़कर इक्विटी और ऋण पर ओडीआई का कल्पित मूल्य
	क	ख	ग	घ	ङ
फरवरी-16	217,740	2,043,139	10.7	160,946	7.9
मार्च-16	223,077	2,224,537	10.0	169,470	7.6
अप्रैल -16	212,132	2,281,346	9.3	161,280	7.1
मई-16	215,338	2,348,618	9.2	160,867	6.8
जून-16	210,731	2,387,685	8.8	161,379	6.8
जुलाई-16	212,179	2,514,038	8.4	162,921	6.5
अगस्त-16	216,232	2,565,304	8.4	158,848	6.2
सितम्बर -16	212,509	2,556,450	8.3	152,624	6.0
अक्तूबर-16	199,987	2,577,073	7.8	143,235	5.6
नवम्बर -16	179,648	2,409,042	7.5	126,596	5.3
दिसम्बर -16	157,306	2,348,007	6.7	112,243	4.8
जनवरी-17	175,088	2,456,716	7.1	119,309	4.9
फरवरी-17	170,191	2,563,431	6.6	115,413	4.5
मार्च-17	178,437	2,705,729	6.6	124,277	4.6
अप्रैल-17	168,545	2,786,083	6.0	128,380	4.6
मई-17	180,718	2,856,637	6.3	133,045	4.7
जून-17	165,241	2,883,104	5.7	132,785	4.6
जुलाई-17	135,297	3,055,984	4.4	127,075	4.2
अगस्त-17	125,037	3,035,509	4.1	116,393	3.8
सितम्बर-17	122,684	3,003,476	4.1	113,706	3.8
अक्तूबर-17	131,006	3,170,194	4.1	120,629	3.8
नवम्बर-17	128,639	3,188,354	4.0	123,567	3.9
दिसम्बर-17	124,810	3,280,283	3.8	121,820	3.7
* पीएन जारी करने वाली एफपीआई द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के आधार पर आंकड़े तैयार किए गए हैं।					
# एयूसी आंकड़े अभिरक्षकों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के आधार पर तैयार किए गए है और व्युत्पन्नों में एफपीआई द्वारा अपनाई गई स्थितियों को इनमें शामिल नहीं किया गया है।.					

"धन अंतरण और वित्त पोषण" के संबंध में दिनांक 09.02.2018 को उत्तरार्थ माननीय सांसद श्रीमती वी. सत्यबामा और श्री पी.आर. सेनथिलनाथन द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *120 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-ख

विदेशी व्युत्पन्न लिखतों/पार्टिसिपेटरी नोट्स के मानदण्डों को सरल बनाने के लिए सेबी द्वारा हाल में किए गए उपाय

1. सेबी (एफपीआई) विनियमन, 2014 के अनुसार, विदेशी व्युत्पन्न लिखतों/पार्टिसिपेटरी नोट्स केवल उन संस्थाओं को जारी किए जा सकते हैं, जिनका विनियमन "अपने ग्राहक को पहचानिए" मानदण्डों का अनुपालन करने के बाद उनके निगमित होने वाले देशों में उपयुक्त विनियामक प्राधिकरण द्वारा होता है। इसके अलावा, केवल श्रेणी (I) और श्रेणी (II) के एफपीआई ओडीआई/पीएन जारी कर सकते हैं/खरीद सकते हैं या किसी अन्य प्रकार से ओडीआई/पीएन से संबंधित कारोबार कर सकते हैं; जबकि श्रेणी (III) का कोई भी एफपीआई ओडीआई से संबंधित कारोबार नहीं कर सकता है।
2. सेबी (एफपीआई) विनियमन, 2014 के अनुसार, एफपीआई यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे मामलों जिनमें ऐसे व्यक्तियों जिन्हें ओडीआई/पीएन का अंतरण किया जाना है, वे स्वयं एफपीआई द्वारा पूर्व-अनुमोदित हैं, को छोड़कर केवल उन्हीं व्यक्तियों को अंतरित किया जाता है जो उनके निगमित होने वाले देशों में उपयुक्त विनियामक प्राधिकरण द्वारा विनियमित हैं और यह अंतरण "अपने ग्राहक को पहचानिए" मानकों का अनुपालन करने और एफपीआई की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही किया जाता है।
3. सेबी के दिनांक 24 नवम्बर, 2014 के परिपत्र के अनुसार, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) व्यवस्था और ओडीआई के माध्यम से प्राप्त शुल्क के बीच लागू पात्रता मानदण्डों में एकरूपता लाई गई है।
4. सेबी के दिनांक 10 जून, 2016 के परिपत्र के अनुसार, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को पीएमएलए के नियम 9 के अनुसार अपने ओडीआई शुल्कों की बीओ से संबंधित सूचना रखना अपेक्षित है, अर्थात् स्वाभाविक व्यक्तियों की संपत्ति विनिर्दिष्ट सीमा रेखा से अधिक होने की स्थिति में ही बीओ के संबंध में जानकारी दी जानी होती है।
5. सेबी (एफपीआई) विनियमन, 2014 के अनुसार, निवासी भारतीय/एनआरआई या ऐसी संस्थाएं जो लाभदायक रूप से निवासी भारतीय/एनआरआई के स्वामित्व में हो, विदेशी व्युत्पन्न लिखतों की खरीद नहीं कर सकती हैं।
6. सेबी (एफपीआई) विनियमन, 2014 के अनुसार, जैसाकि दूसरी अनुसूची के भाग ग में विनिर्दिष्ट है, ओडीआई जारी करने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक को उसके द्वारा जारी विदेशी व्युत्पन्न लिखत (ओडीआई) के प्रत्येक अभिदाता से विनियामक शुल्क लेना और उसे बोर्ड के पास जमा करना अपेक्षित है।
7. सेबी के दिनांक 7 जुलाई, 2017 के परिपत्र के अनुसार, ओडीआई जारी करने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को सूचित किया गया था कि उन्हें इस परिपत्र के जारी होने की तारीख से विचाराधीन व्युत्पन्न वाली ओडीआई जारी करने की अनुमति नहीं होगी; जिनमें वे व्युत्पन्न स्थितियां शामिल नहीं होंगी जो एक के लिए एक आधार पर उसके पास मौजूद इक्विटी शेयरों को बचाने के लिए ओडीआई जारी करने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक द्वारा लिए गए हों।

****